रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3695] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2019/कार्तिक 23, 1941
No. 3695] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2019/KARTIKA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019

का. आ. 4117(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 19.07.2019 को पीडी-12002/09/2019- कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि सुश्री नेहा शर्मा, सुपुत्री श्री नंद किशोर शर्मा निवासी (i) मकान न. 35, वार्ड नं. 2, अहीरवाडा, बल्लभगढ, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 तथा (ii) पत्नी श्री तरुण जैन (सह-आरोपी), निवासी बी-15, शक्ति अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर-9, प्लॉट स. 5, नई दिल्ली -110085 को हिरासत में लिया जाए और सेन्ट्रल जेल, तिहाड, नई दिल्ली में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने द्वारा तस्करी के माल के अन्यथा लेन-देन से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली या पुलिस महानिदेशक (हरियाणा), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12002/09/2019 – कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 14th November, 2019

S.O. 4117(E).— Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12002/09/2019-COFEPOSA dated 19.07.2019 under the said sub-section directing that Ms. Neha Sharma, D/o Shri Nand Kishore Sharma, R/o of (i) House No. 35, Ward No.2, Ahirwara, Ballabgarh, Faridabad, Haryana- 121004 and (ii) W/o Shri Shri Tarun Jain (co-accused), R/o B-15, Shakti Apartment, Rohini Sector-9, Plot No.5, New Delhi-110085 be detained and kept in Central Jail, Tihar, New Delhi, with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing herself so that the said Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi Police Hqrs., New Delhi or Director General of Police (Haryana), Police Headquarters, Sector-6, Panchkula, Haryana, within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12002/09/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.15 15:59:30 +05'30'